न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – अक्षत कुमार सिंह, (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
04/2025	21.04.2025	07-01-2026

उनवान

1. श्रीमती लाली देवी पत्नी उदयलाल जाति–गाडरी, निवासी–कचोलिया, तहसील व जिला–भीलवाडा (राज०)

—— अपीलार्थीया

बनाम

1. अम्बालाल पुत्र गणेश जाट, निवासी चोयलों का खेड़ा, तहसील व जिला – भीलवाड़ा
2. भंवरलाल पिता गणेश जाट, निवासी–चोयलों का खेड़ा, तहसील व जिला – भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत भोली, पंचायत समिति सुवाणा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भोली, जिला–भीलवाड़ा (राज०)

—— प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 328 निर्णय दिनांक 21.02.2014 ग्राम पंचायत भोली अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति–

1. अपीलार्थीया अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा उपस्थित
2. प्रत्यर्थी संख्या 01 से लगायत 02 की और से श्री अंकित शर्मा उपस्थित।

–: निर्णय :–

अपीलार्थीया ने अपनी अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2, कमशः अम्बा लाल जाट व भंवर लाल जाट निवासीयान–चोयलों का खेड़ों से उनके हक व अधिकार की मौजा दाताजंती, पटवार हल्का मण्डपिया, तहसील व जिला–भीलवाड़ा की आराजी संख्या 61 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से प्रत्यर्थीगण संख्या 01 व 02 का हिस्सा 82/399 जो शुद्धीपत्र के जरिये 412/1995 किया गया जिसमें से 01 बीघा भूमि कय की तथा मौके पर 01 बीघा भूमि पर वक्त खरीद दिनांक 11.07.2013 से ही अपीलार्थी को कब्जा दे दिया गया । बिकाव के आधार पर जब अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण फैसल किया उसमें अपीलार्थी का हिस्सा 20/1995 दर्ज कर दिया गया जो कतई अवैध इन्द्राज है, 20/1995 का तत्समय लगभग 01 बिस्वा भूमि बैठती है जबकि अपीलार्थी ने 01 बीघा भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया था । अधिनस्थ न्यायालय ने बटा नम्बर डालते समय कतई ध्यान नहीं रखा कि 20/1995 का क्या मतलब होता है अगर बटा नम्बर से ही इन्तकाल खोलना था तो अधिनस्थ न्यायालय को निम्न तरह से इन्तकाल में भूमि दर्ज करनी चाहिये थी। अपीलार्थी के खाते में 294/1995 तथा शेष अम्बालाल जाट व भंवर लाल जाट का हिस्सा 118/1995 दर्ज करना था, जो नहीं कर अपीलार्थी के 20/1995 हिस्सा दर्ज किया जो कतई अवैध इन्द्राज है। अपीलार्थी ने आराजी संख्या 61 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा में से प्रत्यर्थीगण संख्या 01 व 02 के हिस्से में से 01 बीघा भूमि कय की जो 01 बीघा भूमि ही अपीलार्थी के खाते में दर्ज होनी चाहिये जो नहीं कर उक्त गलत इन्द्राज किया जो निरस्तनीय है।

नामान्तरकरण में गलत रकबा दर्ज हो जाने की जानकारी अभी हाल ही में पटवारी हल्का ने दिनांक 15.03.2025 को खाते की नकलें ली तब पटवारी हल्का से पूछा तो पटवारी हल्का ने बताया कि 01 बीघा जमीन नहीं होकर तुम्हारे खाते में तो 01 बिस्वा जमीन दर्ज हुई है तब अपीलाधीन इन्तकाल की नकल निकलवायी जिस पर नकलें दिनांक 01.04.2025 को प्राप्त हुई तो उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी हुई। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 21.02.2014 से नकल प्राप्त हो जानकारी होने दिनांक 01.04.2025 तक का समय कण्डोन कर अपील को अंदर अवधि शुमार किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है, जिस हेतु दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भोली द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 328 दिनांक 21.02.2014 निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के खाते में 01 बीघा जमीन का नामान्तकरण खोलने बाबत् पत्रावली रिमाण्ड करने की कृपा करावें।

अपीलार्थी की अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम दाताजंती, पटवार हल्का मण्डपिया, तहसील व जिला–भीलवाड़ा की आराजी संख्या 61 रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से प्रत्यर्थीगण संख्या 01 व 02 का हिस्सा 82/399 जो शुद्धीपत्र के जरिये 412/1995 किया गया जिसमें से 01 बीघा भूमि कय की तथा मौके पर 01 बीघा भूमि पर वक्त खरीद दिनांक 11.07.2013 से ही अपीलार्थी को कब्जा दे दिया गया। बिकाव के आधार पर जब अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण फैसल किया उसमें अपीलार्थी का हिस्सा 20/1995 दर्ज कर दिया गया जो कतई अवैध इन्द्राज है, 20/1995 का तत्समय लगभग 01 बिस्वा भूमि बैठती है जबकि अपीलार्थी ने 01 बीघा भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया था। अपीलार्थी के खाते में 294/1995 तथा शेष प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 का हिस्सा 118/1995 दर्ज करना था। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भोली द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 328 दिनांक 21.02.2014 निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के खाते में 20/1995 हिस्से के बजाय 294/1994 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के 118/1995 हिस्सा दर्ज किये जावे ।

अपीलार्थीया अधिवक्ता अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये आराजी संख्या 61 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा भूमि अपीलार्थी को विकय की तथा अपीलाथी को 01 बीघा भूमि पर ही वक्त खरीद से कब्जा दे दिया है. बिकाव के आधार पर ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण खोला उसमें अपीलार्थी का हिस्सा 20/1995 दर्ज कर दिया जो गलत है। अपीलार्थी के खाते में 01 बीघा भूमि ही दर्ज होनी चाहिये जिसमें प्रत्यर्थीगण संख्या 01 व 02 को कोई आपत्ती नहीं है ।

अपीलार्थीया नें अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद का प्रस्तुत किया है जिसमें निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 15.03.2024 को हुई। दिनांक 01.04.2024 को अपील पेश करते हुये अपील पेश करने में हुयी देरी को क्षम्य करने की प्रार्थना की गयी है न्याय की दृष्टि से अपीलार्थीगण को अपील में पेश करने में हुयी देरी को क्षम्य किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भोली द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 328 दिनांक 21.02.2014 में अपीलार्थी के खाते में 20/1995 हिस्सा दर्ज कर दिया जो त्रृटिपूर्ण है। अपीलार्थी के खाते में 20/1995 हिस्से के बजाय 294/1994 हिस्सा एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के 118/1995 हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अपीलार्थीया की अपील उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य ठहरती है।

–:: आदेश ::–

अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत भोली) द्वारा ग्राम दांताजती, पटवार हल्का मण्डपिया तहसील भीलवाडा के नामान्तकरण संख्या 328 दिनांक 21.02.2014 पर पारित नामान्तकरण आदेश को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम दांताजती, पटवार हल्का मण्डपिया तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 61 रकबा 06–13 बीघा के सम्बन्ध में अपीलार्थीया के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विकय पत्र एवं रजिस्टर्ड शुद्धि पत्र की जॉच कर पुनः नामान्तकरण कार्यवाही करें। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जावें।

(अशोक कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा